

BHARAT
SECURE PRINTING
SECURITY PAPER
AUTHORIZATION No. 2211

भारत
00000
0000100
374 14B
INDIA


निर्वाचन
JUDICIAL
20.3.2014
Bihar
"प्ररुष 26"
(नियम तक से)



12.24 PM

32 / HP/2014/R-0

Handwritten signature and number 25/314



निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 31 फाटलिपुर (जोक सभा) (राज्य का नाम) के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अग्रणी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

नाम-क

देव कुमार वर्मा **पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री जंगबहादुर प्रसाद
आयु 56 वर्ष, जो शाप कर रही, पोस्ट दिहुली, बाग दुर्ग
बाजार जिला पटना (डाक का

को नाम लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अग्रणी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं निर्गलिष्ठ कथन करता हूँ/करती हूँ-

रूपिलकरा पार्टी ऑफ इंडिया (AI) (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा उड़ा
किया गया अग्रणी / **एक सत्य अग्रणी के रूप में लड़ रहा है।

(जो लागू न हो उसे काट दें)
मेरा नाम 190 पालीगंज विधान सभा (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 18
के क्रम सं 86 पर प्रविष्ट है।

मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9931602640 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ...
है।

Devi Kumar Verma 2893. Sharan...



(क) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रस्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वितीस वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	रक्षक	शून्य	लाभ नहीं है	लाभ नहीं है
2.	पति या पत्नी	शून्य	लाभ नहीं है	लाभ नहीं है
3.	आश्रित-1	शून्य	लाभ नहीं है	लाभ नहीं है
4.	आश्रित-2	शून्य	लाभ नहीं है	लाभ नहीं है
5.	आश्रित-3	शून्य	लाभ नहीं है	लाभ नहीं है

(ख) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें रक्षक अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाही ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(क) निम्नलिखित मामला (मामले) भरे दिखाने संबंधित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य



(द्व.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	इन
(जे.)	क्या रुबी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	इन

(ग) निम्नलिखित मामला (मामलों) मेरे विरुद्ध लयित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है

पूर्वोक्त

परद (1) में वर्णित मामलों से भिन्न):--

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	इन
(ख)	उन मामलों के बारे में जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	इन
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के बारे में	इन

(घ) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 6 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

अदि अभिराही उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के बारे में, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	इन
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	इन



(ग)	अधिसूचित दंड	Yes
(ख)	क्या सिद्ध हो सकेगा कि आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	Yes

(ग) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आश्रितियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे दे रहा हूँ

अ. जंगम आश्रितियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 -- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आश्रितियों का भी विवरण दिया जाना है।


टिप्पण 2 -- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और उसके सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 -- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में कंपनी/शेयर डिबेंचर्स का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुरूप और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 -- यह आश्रित का यही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अन्तर्गत स्थायीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 -- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तरा दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	रकम	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित
1	मुद्रा में नकदी	₹ 75,000/-	₹ 20,000/-	₹ 30,000/-	Yes	Yes
2	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (निम्न जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा विषयों में उल्लेख नहीं है), दितीय संस्थाओं, गैर-बैंककारी विदेशी कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
3	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में कंपनी/डिबेंचर्स/शेयर्स तथा फंडों के विनिधान के ब्यौरे और	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes



2017

(क)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के खाते और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं द्वितीय लिखतों में विनिधान और रकम	Low	₹ 8000/- किताब किताब पर	Low	Low	Low
(ख)	छिपे हुए व्यक्ति या निर्यात लिखतों फर्म, कंपनी, न्याय आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अधिग और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	Low	Low	Low	Low	Low
(ग)	मोटरवाहन/वायुयान/याट/पोल (मैक) रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ग और रकम)	Low	Low	Low	Low	Low
(घ)	जेकरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (नस्ते) (भार और मूल्य के खाते)	Low	₹ 50,000/- मिमी 300,000/-	Low	Low	Low
(ङ)	कोई अन्य आरिक्त जैसे कि दावो/हित का मूल्य	Low	Low	Low	Low	Low
(च)	समस्त कुल मूल्य या स्वतंत्र आरिक्तों के खाते	₹ 75000/-	₹ 2,8000/-	₹ 30,0000/-	Low	Low

टिप्पण 1-- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आरिक्तों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2-- प्रत्येक भूमि या नवन या अपार्टमेंट का इस प्रकार में पुष्टकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम संक	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(1)	भूमि भूमि की अवस्थिति (अवस्थिति/सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ))	प्लॉट नं-1/ए1 प्लॉट नं-224 विभाग 4271	Low	Low	Low	Low
	प्लॉट (एकड़ में कुल माप)	03 एकड़	Low	Low	Low	Low
	क्या विवरण में कोई संबंध है (हां या नहीं)		Low	Low	Low	Low
	संयुक्त स्वामित्व की दशा में क्या भी लागू	लागू नहीं	Low	Low	Low	Low
	क्या प्रत्येक भूमि की लागत (किस दशा में)	लागू नहीं	Low	Low	Low	Low



	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिश्चय	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
(10)	अनुमानित बालू बाजार मूल्य	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	नैसर्गिक भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिगत) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याक)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)		हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिश्चय	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
(11)	अनुमानित बालू बाजार मूल्य	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	वैयक्तिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिगत) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याक)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)		हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिश्चय	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
(12)	अनुमानित बालू बाजार मूल्य	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिगत) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याक)	भूमि मालिक शायद नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	27224.48	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ



	निम्नित क्षेत्र (ख) कुल के कुल मान) 2722 70 400	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	व्यापक विस्तार में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	सद्व्यवस्थित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	विकास, संविधान आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिश्चय	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
(VI)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
(VII)	पूर्वोक्त (I) से (V) का कुल चालू बाजार मूल्य	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

(3) मैं, लोक वितीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/वगे शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(विषय : कृषक बैंक, संस्था, निगम या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वितीय संस्था (संस्थाओं के ऋण या शोध्य बैंक या वितीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	पूर्वोक्त वर्गीत से गिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निगम को ऋण या शोध्य	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	कोई अन्य दायित्व	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	दायित्वों का कुल योग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	से परतने वाले विभागों को शोध्य	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	जहाँ संपत्ति से परतने वाले विभागों को शोध्य	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ



विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
सरकारी परिवहन (वायुमन और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
अन्य-कर शोध्य	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
धनकर शोध्य	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
सेवाकर शोध्य	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
नगरपालिका/संगति कर शोध्य	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
पित्रायकर शोध्य	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
कोई अन्य शोध्य	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्बलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

(b) धृति या समझौता के तौर पर :

(क) स्वयं रु. १५५


(ख) पति या पत्नी शुद्धि

(10) गैरी सैक्रिक अहंता नीचे दिये अनुसार है :-

उत्तराखण्ड उन्नाई ०५० पिन एन. की कॉलेज, अष्टुआ, पालीगंज, ५२७१

मगध विद्यालय, वर्ष - १९८१

(अभ्यापक/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय विद्या के तौर पर विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का उल्लेख करें)



भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु. देव कुमार वर्मा			
2	उत्तक का पता	ग्राम-बरही, पो. विहुली, थाना-कुल्लिया बाजार, पटना			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	31 पाटलिपुत्र (साधारण) बिहार			
4	सब राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा खंडित लिखें)	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (A)			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारणवश से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आक्षेप विरचित किए गए हैं।	शून्य			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (स्थलावली) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से गिनत)	शून्य			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धांतपूरा ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारणवश से और दंडित किया गया है; (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिद्धांत)	शून्य			
7		वर्ष स्थापी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य	
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य	
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य	
8	आश्रितों और धारितों के ब्यौरे (रूप में)				
	विवरण	रकम	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
	कुल आश्रितों (कुल धारितों)	40 लाख	शून्य	शून्य	शून्य



टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिजर्वेशन इतिहास वृत्तगत निर्वचन आयोग एवं अन्य के मामले में अपरार्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अपरार्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अपरार्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्पष्ट करेंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी भद्र में उपलब्ध कराने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अपरार्थी स्पष्ट दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असाफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षण के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

पता दूरभाष संख्या/संख्यायें हैं/हैं 9931602640

पता ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है cm14761'

एच मेस सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) हैं Yes'

टिप्पण-7 शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये व्योरे का उद्धरण

1	अ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुं देव कुमार वर्मा			
2	आक का पता	ग्राम-वरडी, पो० दिहुली, थाना-कुलिया गागाँ, पटना-			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	31 पार्लियुम (साभा-म) मि० 15			
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (A)			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आशेष विरचित किए गए हैं।	शून्य			
6	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद् (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शून्य			
7	एक कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धांततः उल्लेखित गणना एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य			
7		का रथायी लेख सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
	(क) अ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य	
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य	
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य	
8	आश्रितों और वागिरकों के व्योरे (अपने में)				
	विवरण	वय	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
	अंतिम आश्रित (कुल-मूल्य)	40 लाख	शून्य	शून्य	शून्य



2015

स	स्वाच्छ आरितयां					
1.	स्वाच्छता रथावर संपत्ति की क्रय कीमत	₹१०	₹१०	₹१०	₹१०	₹१०
2.	क्रय के पश्चात् रथावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	₹१	₹१०	₹१०	₹१०	₹१०
3.	निम्नलिखित की अनुमानित बतौरमान बाजार कीमत	₹१०	₹१०	₹१०	₹१०	₹१०
	(क) स्वच्छता आरितयां (कुल मूल्य)	₹१०	₹१०	₹१०	₹१०	₹१०
	(ख) दिशरसती आरितयां (कुल मूल्य)	५० लाख	₹१०	₹१०	₹१०	₹१०
4.	दायित्व	₹१०	₹१०	₹१०	₹१०	₹१०
5.	सरकारी शोध (कुल)	₹१०	₹१०	₹१०	₹१०	₹१०
6.	केंद्र, वितीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	₹१०	₹१०	₹१०	₹१०	₹१०
7.	कुल दायित्व जो विलासनीय है					
8.	सरकारी शोध (कुल)	₹१०	₹१०	₹१०	₹१०	₹१०
9.	केंद्र, वितीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	₹१०	₹१०	₹१०	₹१०	₹१०



51	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : उत्तीर्ण 2-11-85 १० पी० एच० एन० के.के.एल.एन., 8-1-81 मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, वर्ष-1981
	(समयापत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें कार्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे देइ)

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिरक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस समयपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से किन्ना कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पत्नी या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 9, 9 और 10 में उल्लिखित आश्रित या दायित्व से किन्ना कोई आश्रित या दायित्व नहीं है।

मात्र तारीख को सत्यापित किया गया।

देव कुमार शर्मा

अभिरक्षी

I identify the signatories
Signature of I.P.J. who has
officed in my presence

टिप्पण 1. समयपत्र नामांकन फाइल करके आंतिम दिन को उपरोक्त समयपत्र तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. समयपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर/प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष संबंध रखे जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. समयपत्र टंकित या सुभाष्यरूप से सजा-साफ लिखित होना चाहिए।



टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिजॉर्जस इलिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी नद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लगावू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करानी जायेगी।

मेरा दूरभाष संख्या/संख्याएँ है/हैं..... 9931602640

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है..... 'om 21'

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... 'om'

टिप्पण-7 शपथ पत्र के पारा 8 में विदेशी संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।